कम सं.–143

रजिस्ट्रे"ान नम्बर–एस0एस0पी0/एल0
डब्लू0/एन0पी0–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्से"ानल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 24 अगस्त, 2021
भाद्रपद 2, 1943 शाक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 807/79–वि–1–21–1–क–24–21

लखनऊ, 24 अगस्त, 2021

अधिसूचना
विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश विन्ध्य धाम तीर्थ विकास परिषद, विधयेक, 2021 जिससे पर्यटन अनुभाग प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 24 अगस्त, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 2021 के रूप में सर्वसाधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रका"ित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश विन्ध्य धाम तीर्थ विकास परिषद अधिनियम, 2021
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 2021)
[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

विन्ध्याचल की समस्त प्रकार की सांस्कृतिक, पारिस्थितिकीय तथा स्थापत्य सम्बन्धी विरासत की सौंदर्यपरक गुणवत्ता को परिरक्षित करने, विकसित करने तथा अनुरक्षित करने की योजना तैयार करने, ऐसी योजना के क्रियान्वयन का समन्वय एवं अनुश्रवण करने और क्षेत्र में एकीकृत पर्यटन विकास तथा विरासत–संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु संगत नीतियां विकसित करने, जिला मिर्जापुर के किसी विभाग/स्थानीय निकाय/प्राधिकरण को विन्ध्याचल क्षेत्र के विरासतीय संसाधनो को प्रभावित करने वाली या सम्भावित रूप में प्रभावित करने वाली किसी योजना, परियोजना या किसी विकासगत प्रस्ताव के सम्बन्ध में पराम"ा एवं मार्गद"ान प्रदान करने के

लिये विन्ध्य धाम तीर्थ विकास परिषद का गठन करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह विधेयक उत्तर प्रदेश विन्ध्य धाम तीर्थ विकास परिषद अधिनियम, 2021 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार उत्तर प्रदेश में राजस्व जिला मिर्जापुर के भीतर स्थित विन्ध्याचल क्षेत्र में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

परिभाषाएं

2– जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,–

(क) ''मुख्य कार्यपालक अधिकारी'' का तात्पर्य धारा 4 के अधीन नियुक्त परिषद् के मुख्य कार्यपालक अधिकारी से है,

(ख) ''कार्यपालक समिति'' का तात्पर्य धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन गठित कार्यपालक समिति से है,

(ग) ''कार्यपालक उपाध्यक्ष'' का तात्पर्य धारा 4 के अधीन नियुक्त परिषद के कार्यपालक उपाध्यक्ष से है,

(घ) ''कियान्वयनकर्ता अभिकरण'' का तात्पर्य मिर्जापुर जिला में राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की अधिकारिता के अधीन किसी परियोजनागत योजना को तैयार करने और/या उसे क्रियान्वित करने के लिये चयनित किसी सार्वजनिक उपक्रम से है,

(ड.) ''भूमि'' के अन्तर्गत भूमि से उद्भूत होने वाली प्रसुविधाएं और भू–बद्ध चीजें या भू–बद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से आबद्ध चीजें सम्मिलित है,

(च) ''स्थानीय निकाय'' का तात्पर्य किसी विकास प्राधिकरण, नगर निकाय या विन्ध्याचल क्षेत्र के नगरीय विकास से सम्बन्धित किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या किसी ग्राम पंचायत से है,

(छ) ''सदस्य'' का तात्पर्य ऐसे परिषद या नियोजन तथा विकास समिति के किसी सदस्य से है और जिसमें उनके अध्यक्ष सम्मिलित है,

(ज) ''परिषद'' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित विन्ध्य धाम तीर्थ विकास परिषद से है,

(झ) ''सहभागी विभाग'' का तात्पर्य राज्य सरकार के विभाग या मिर्जापुर जिला के किसी ऐसे स्थानीय निकाय से है जिसके क्रियाकलाप, परिषद से सम्बन्धित हों या उससे सम्बन्धित होना संभाव्य हो,

(य) ''योजना'' का तात्पर्य विन्ध्याचल क्षेत्र के विकास तथा पर्यटन हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास और विन्ध्याचल क्षेत्र की दोनों मूर्त एवं अमूर्त विरासत के संरक्षण के लिए इस अधिनियम के अधीन तैयार की गयी विन्ध्य धाम तीर्थ विकास योजना से है,

(ट) ''नियोजन तथा विकास समिति'' का तात्पर्य धारा 6 के अधीन गठित नियोजन तथा विकास समिति से है,

(ठ) ''परियोजनागत योजना'' का तात्पर्य योजना के लिए एक या उससे अधिक अवयवों को क्रियान्वित करने हेतु तैयार की गयी किसी विस्तृत योजना से है,

(ड) ''विनयमावली'' का तात्पर्य धारा–41 के अधीन परिषद द्वारा बनायी गयी विनियमावली से है,

(ढ) ''विन्ध्याचल क्षेत्र'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में राजस्व जिला मिर्जापुर के भीतर के सम्पूर्ण क्षेत्र से है।

अध्याय—दो

विन्ध्य धाम तीर्थ विकास परिषद

परिषद का गठन और निगमन

3—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ गजट में अधिसूचना द्वारा एक परिषद का गठन करेगी जिसे ''विन्ध्य धाम तीर्थ विकास परिषद'' के रूप में जाना जायेगा।

(2) परिषद एक निगमित निकाय होगी।

(3) परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(क) मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, जो परिषद के अध्यक्ष होंगे,

(ख) उपाध्यक्ष—मंत्री पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश, सरकार,

(ग) जिला मिर्जापुर के राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन का सदस्य, पदेन,

(घ) कार्यपालक उपाध्यक्ष, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त होंगे।

(ड.) सदस्य सह—संयोजक/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यटन विभाग, पदेन,

(च) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं नगर नियोजन विभाग, पदेन,

(छ) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त विभाग, पदेन,

(ज) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संस्कृति विभाग, पदेन,

(झ) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, धर्मार्थ कार्य विभाग, पदेन,

(य) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास विभाग, पदेन,

(ट) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन विभाग, पदेन,

(ठ) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन विभाग, पदेन,

(ड) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, पदेन,

(ढ) आयुक्त, विन्ध्याचल मण्डल, मिर्जापुर, पदेन,

(ण) जिला मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर, पदेन,

(त) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर, पदेन,

(थ) मुख्य नगर एवं ग्राम योजनाकार, उत्तर प्रदेश, पदेन,

(द) परिषद का मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो सदस्य सचिव होगा,

(ध) उपाध्यक्ष, मिर्जापुर—विध्याचल विकास प्राधिकरण, मिर्जापुर, पदेन,

(न) कार्यपालक अधिकारी, विन्ध्याचल नगर पालिका परिषद, पदेन,

(प) विन्ध्याचल क्षेत्र के विरासत के संरक्षण का ज्ञान, अनुभव, अभिद"ान तथा तद्निमित्त कृत प्रयासों के ट्रैक अभिलेख वाले ऐसी पॉच प्रख्यात सार्वजनिक व्यक्ति, जो राज्य सरकार के पराम"ा से अध्यक्ष द्वारा नाम—निर्दिष्ट किये जायेंगे,

(फ) दस करोड़ रूपये या उससे अधिक का दान करने वाले दान कर्तागण, परिषद के अनुमोदन के पश्चात् नाम—निर्दिष्ट सदस्यों के रूप में विचार किये जाने हेतु पात्र होंगे।

(4) उपधारा (3) के खण्ड (प) और (फ) के अधीन नाम—निर्दिष्ट सदस्यों के पद की निबंधन एवं शर्ते वही होंगी जैसा कि विहित किया जाय।

कार्यपालक उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी

4—(1) परिषद का एक कार्यपालक उपाध्यक्ष होगा, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(2) कार्यपालक उपाध्यक्ष ऐसे विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव, जो विभिन्न क्षेत्रो के वि"ोषज्ञों से समाविष्ट परिषद के सदस्य हों, के पराम"ा से एक

प्राविधिक दल गठित करेगा। उक्त दल परिषद द्वारा किये गये कार्यो का समय–समय पर परीक्षण करेगा और अपनी रिपोर्ट कार्यपालक उपाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा।

(3) परिषद का एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा, जो राज्य सरकार के वि"ोष सचिव की श्रेणी से अनिम्न अधिकारियों में से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(4) मुख्य कार्यपालक अधिकारी परिषद का अधिकारी होगा और परिषद द्वारा नियुक्त समस्त अधिकारी तथा कर्मचारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी के प्र"ाासनिक नियन्त्रणाधीन होंगे।

(5) कार्यपालक उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी परिषद की निधि से ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे और ऐसी सेवा शर्तो द्वारा शासित होंगे जैसा कि इस निमित्त राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित किया जाय।

(6) परिषद के समस्त आदेश और विनि"चय तथा अन्य लिखत, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित होंगे।

कार्यपालक समिति

5–(1) जब सम्पूर्ण परिषद का सम्मेलन करना व्यवहारिक न हो तब किसी आपात या अन्य सामयिक संवेदनशील मामला होने की दशा में परिषद की शक्तियों और उसके कृत्यों का प्रयोग करने के लिए एक कार्यपालक समिति होगी। कार्यपालक समिति में परिषद के समस्त पदेन सदस्य सम्मिलित होंगे और उसकी अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेंगे।

(2) परिषद अपनी अगली बैठक में कार्यपालक समिति के कार्यवृत की समीक्षा करेगी और कार्यपालक समिति द्वारा कृत कार्यवाही का उपान्तरण कर सकती है, उसे अस्वीकृत कर सकती है या उसमें सुधार कर सकती है।

नियोजन तथा विकास समिति की संरचना

6–(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् परिषद यथाशाक्य शीघ्र अपने कृत्यों का निर्वहन करने में अपनी सहायता हेतु एक नियोजन तथा विकास समिति का गठन करेगी।

(2) नियोजन तथा विकास समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात्:–

(क) जिला मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर, जो अध्यक्ष होगा, पदेन,

(ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जो सदस्य सचिव होगा,

(ग) पुलिस अधीक्षक, विन्ध्याचल, पदेन,

(घ) उपाध्यक्ष, मिर्जापुर, विन्ध्याचल विकास प्राधिकरण, मिर्जापुर, पदेन,

(ड.) कार्यपालक अधिकारी विन्ध्याचल नगर पालिका परिषद पदेन,

(च) सह योजनाकार, नगर और ग्राम नियोजन, विन्ध्याचल मंडल, मिर्जापुर, पदेन,

(छ) मिर्जापुर जिला में प्रत्येक स्थानीय निकाय का अध्यक्ष, पदेन,

(ज) अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मिर्जापुर, पदेन,

(झ) अधीक्षण अभियंता, जल शक्ति विभाग, मिर्जापुर, पदेन,

(य) अधीक्षण अभियन्ता, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम (नगरीय एवं ग्रामीण), मिर्जापुर, पदेन,

(ट) अधीक्षण अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम, मिर्जापुर, पदेन,

(ठ) प्रभागीय वन अधिकारी, मिर्जापुर, पदेन,

(ड) क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र, पदेन,

(ढ) अधीक्षक पुरातत्वविद, वाराणसी, पदेन,

(ण) क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, वाराणसी, पदेन,

(त) एक दृश्यभूमि अभिकल्पक एवं भाषान्तरण योजनाकार, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा,

(थ) विन्ध्याचल क्षेत्र का अनुभव रखने वाला एक पर्यावरणविद्, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा,

(द) विन्ध्याचल क्षेत्र के सांस्कृतिक एवं पौराणिक इतिहास का अनुभव रखने वाला एक प्रख्यात इतिहासकार, जिसे राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा,

(ध) विन्ध्याचल क्षेत्र का अनुभव रखने वाला एक प्रख्यात साहित्यकार या कलाकार, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा,

(न) एक प्रख्यात विधिवक्ता, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा,

(प) दो प्रख्यात लोक प्रतिनिधि या सामाजिक कार्यकर्ता, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

(3) उपधारा (2) के खण्ड (थ),(द),(ध),(न),(प),(फ) और (ब) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों के पद की निबंधन एवं शर्ते वही होंगी जैसा कि विहित किया जाय।

7—(1) परिषद या नियोजन तथा विकास समिति, किसी समय सहयोजित बैठक कर सकती है और ऐसी अवधि, जैसा कि वह उचित करने की समझे, के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को परिषद के या शक्ति नियोजन तथा विकास समिति के सदस्य या सदस्यों के रूप में सहयोजित कर सकती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन सहयोजित कोई व्यक्ति, यथा स्थिति, परिषद के, या नियोजन या विकास समिति के सदस्य की समस्त शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करेगा तथा उनका निर्वहन करेगा किन्तु उसे मत देने का हक नहीं होगा।

8—परिषद का मुख्यालय मिर्जापुर होगा। *परिषद का मुख्यालय*

9—परिषद ऐसे समयों और स्थानों पर बैठक करेगी जैसा कि परिषद द्वारा समय—समय पर अवधारित किया जाय। *परिषद की बैठकें*

10—नियोजन तथा विकास समिति ऐसे समयों पर बैठक करेगी जैसा कि नियोजन तथा विकास समिति के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय किया जाय या परिषद के उपाध्यक्ष द्वारा निर्दे”ात किया जाय किन्तु दो निरन्तर बैठकों के मध्य का समय साठ दिन से अधिक का नहीं होगा। *नियोजन तथा विकास समिति की बैठकें*

11—परिषद या नियोजन तथा विकास समिति का कोई कार्य या कार्यवाही, यथास्थिति, परिषद या नियोजन तथा विकास समिति के गठन में किसी रिक्ति या किसी त्रुटि के विद्यमान होने के कारण मात्र से अविधिमान्य नहीं होगी। *रिक्तियां इत्यादि जिनसे परिषद या नियोजन तथा विकास समिति की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होगी*

12—परिषद और नियोजन तथा विकास समिति की बैठकों की गणपूर्ति कुल आधे सदस्यों से होगी। *बैठक की गणपूर्ति*

अध्याय—तीन

परिषद और नियोजन तथा विकास समिति की शक्तियॉ और कृत्य

13—परिषद की शक्तियों में निम्नलिखित शक्तियॉ सम्मिलित होगीः— *परिषद की शक्ति*

(क) योजना और परियोजनाओं को तैयार करने, प्रवर्तित करने और उन्हें कियान्वित करने के सम्बंध में सहभागी विभागों से रिपोर्ट और सूचना मांगना,

(ख) यह सुनिश्चित करना कि यथा स्थिति योजना या परियोजना, की तैयारी, प्रवर्तन तथा कियान्वयन, विन्ध्याचल की संस्कृति और उसकी स्थापत्यकला के अनुरूप हो,

(ग) योजना के कियान्वयन के प्रकमों को संसूचित करना,

(घ) योजना और परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना,

(ड.) सहभागी विभागों से व्यापक परियोजनाएं चयनित करना और उन्हें अनुमोदित करना, प्राथमिकता वाली विकास की मांग करना और उन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ऐसी सहायता का उपबंध करना जैसा कि परिषद उचित समझे,

(च) सेवाएं तथा सुविधाएं उपबंधित करने या उनके अनुरक्षण एवं विकास हेतु पर्यटकों से शुल्क या प्रभार उद्ग्रहीत करना,

(छ) स्वप्रेरणा से सम्पूर्ण विन्ध्याचल क्षेत्र में किसी क्षेत्र के विकास, पुनर्विकास और सौन्दर्यीकरण का सम्बर्द्धन करने तथा उसे सुरक्षित रखने के उद्दे"य से कोई कार्य/परियोजना प्रारम्भ करना,

(ज) किसी परियोजनागत योजना को तैयार करने तथा उसे क्रियान्वित करने के लिए क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण का चयन करना,

(झ) नियोजन तथा विकास समिति को ऐसे अन्य कृत्यों को सौंपना जैसा कि वह इस अधिनियम के उपबंधो को क्रियान्वित करने के लिये आव"यक समझे।

परिषद के कृत्य

14—परिषद के कृत्य निम्नलिखित होंगेः—

(क) योजना तैयार करना,

(ख) किसी सहभागी विभाग द्वारा परियोजनाओं को तैयार करने की व्यवस्था करना,

(ग) किसी एक या उससे अधिक सहभागी विभाग/विभागों या क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण/अभिकरणों के माध्यम से योजना एवं परियोजनाओं के प्रवर्तन तथा क्रियान्वयन का समन्वय करना,

(घ) विन्ध्याचल क्षेत्र में परियोजना की संरचना करने, प्राथमिकताओं का अवधारण करने और उक्त योजना में संसूचित प्रक्रमों के अनुसार पर्यटन हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास की प्रावस्था निर्धारित करने तथा विन्ध्याचल की विरासत के संरक्षण के सम्बन्ध में सहभागी विभागों द्वारा समुचित तथा व्यवस्थित कार्यक्रम सुनिश्चित करना,

(ड.) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जागरूकता तथा अभिरूचि की अभिवृद्धि करने के निमिन्त समेकित प्रयास करना और उसका सुव्यवस्थित रूप में दस्तावेजीकरण करना, उसे संरक्षित रखना, सुरक्षित रखना, सवंर्धित करना, प्रदर्शित करना और प्रसारित करना,

(च) क्षेत्र के विरासत के सम्बन्ध में अनुसंधान का दायित्व ग्रहण करना तथा उसे प्रोत्साहित करना,

(छ) विन्ध्याचल क्षेत्र में नदियों तथा जलाशयों तथा उनके जलागम क्षेत्रों का संरक्षण तथा विकास करने हेतु उनमें प्रदूषण नियंत्रण का उपाय करने तथा नदी तटों एवं जला"ायों का विकास करने के लिए दायित्व ग्रहण करना,

(ज) उक्त क्षेत्र के विरासतीय स्थापत्य कला के अनुरूप भवनों तथा संरचनाओं में एकरूपता लाने हेतु स्थापत्य विनियमावली बनाना,

(झ) विन्ध्याचल क्षेत्र के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सशक्त करने, संरक्षित करने, सुरक्षित रखने तथा उसे सवंर्धित करने के लिए पर्यटन अवसंरचना तथा क्रिया कलापों/परियोजनाओं के एकीकृत विकास के लिए विभिन्न पणधारकों—सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों, मंदिर प्रबन्धन/न्यासों, स्वयं सहायता समूहों, अनुसंधानकर्ताओं और विद्वानों के मध्य समन्वयन सुनि"चत करने की नीतियों का सूत्रपात करना,

(य) विन्ध्याचल क्षेत्र में राज्य निधियों तथा अन्य राजस्व स्रोतों यथा मंदिर न्यासों, दानों, गैर सरकारी संगठन, कम्पनी/फर्मो तथा पर्यटकों आदि से प्राप्त निधियों के माध्यम से चयनित विकास परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था करना तथा उसका पर्यवेक्षण करना,

(ट) विन्ध्याचल क्षेत्र में व्यवहारिक रूप से सौहार्द संवर्द्धन की छाप रख चुके या रखने वाले प्राधिकारियों के साथ समीपस्त क्षेत्रों में तत्सम्बन्धी मामलों तथा क्रिया–कलापों में समन्वय करना,

नियोजन तथा विकास सिमिति के कृत्य

15–(1) नियोजन तथा विकास समिति के कृत्य परिषद की निम्नलिखित के संबन्ध में सहायता करने होंगें:–

(क) योजना तथा परियोजनाओं की तैयारी करना एवं उसके क्रियान्वयन का समन्वय करना,

(ख) सहभागी विभाग या किसी क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण की परियोजनाओं को यह सुनि"चत करने के लिए संवीक्षा करना कि वे योजना के अनुरूप हों,

(ग) परिषद को ऐसी संस्तुतियां करना जैसा कि वह किसी योजना का सं"ाोधन या उपान्तरण करने के लिए आवश्यक समझें,

(घ) जिला स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं का समन्वय तथा क्रियान्वयन करना,

(ड.) इस अधिनियम के प्रशासन के सम्बन्ध में ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना जैसा कि उसे परिषद द्वारा सौपें जायं।

(2) जिला में विभागीय आय–व्ययक संबन्धी स्वीकृतियों वालें विभिन्न सरकारी विभागों और अन्य क्रियान्वयनकर्ता अभिकरणों को नियोजन तथा विकास समिति के साथ उक्त योजना के अधीन उनकी विद्यमान योजनाओं/परियोजनाओं की समाभिरूपता तथा समन्वय सुनि"चत करने हेतु समन्वय भी करना होगा।

अध्याय–चार

योजना तथा परियोजनागत याजनाएं

योजना की विषयवस्तु

16–(1) योजना एक लिखित विवरण होगी और उसके साथ ऐसे मानचित्र, रेखाचित्र, दृष्टांत तथा विवरणात्मक मामले संलग्न होंगे जैसा कि परिषद योजना में अन्तर्विष्ट प्रस्तावों की व्याख्या करने या दृष्टांत देने के प्रयोजनार्थ उपयुक्त समझे और ऐसे प्रत्येक मानचित्र, रेखाचित्र, दृष्टांत और विवरणात्मक मामले योजना के अंग समझे जायेंगे।

(2) उक्त योजना में ऐसी रीति संसूचित होगी जिसमें विन्ध्याचल क्षेत्र में विकास सम्बन्धी क्रिया–कलाप या संरक्षण तथा ऐसे अन्य मामले ग्रहण किये जायेंगे, जिनका विन्ध्याचल क्षेत्र में पर्यटन के विकास तथा विन्ध्याचल की विरासत के संरक्षण पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव हो या होना सम्भावित हो। उक्त योजना में योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आव"यक निम्नलिखित तत्व सम्मिलित होंगे, अर्थात्:–

(क) विभिन्न प्रयोगों के लिये भू–उपयोग तथा भूमि आवंटन को विनियमित करने की नीति,

(ख) प्रमुख नगरीय व्यवस्थापन प्रणाली तथा स्थापत्य विनियमित के लिए प्रस्ताव,

(ग) भावी विकास के लिए उपयुक्त आर्थिक आधार का उपबन्ध करने के लिए प्रस्ताव,

(घ) स्थानीय परिवहन सहित क्षेत्र के लिए सहायक रेलवे तथा मुख्य मार्गो से युक्त परिवहन तथा संचार से सम्बन्धित प्रस्ताव,

(ड.) नगरीय सेवाओं यथा पेयजल, मलजल तथा जल निकास व्यवस्था के लिए प्रस्ताव,

(च) ऐसे क्षेत्रों को संसूचित करना जिनकी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में तत्काल विकास की आव"यकता हो,

(छ) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जागरूकता और अभिरूचि की अभिवृद्धि करने के लिए प्रस्ताव और इसे सुव्यवस्थित रूप में दस्तावेजी कृत करना, संरक्षित करना, सुरक्षित करना, सवंर्द्धित करना, प्रदर्शित करना और प्रसारित करना,

(ज) विन्ध्याचल क्षेत्र के संतुलित विकास तथा अभिवृद्धि के लिए समुचित योजना बनाने हेतु सम्बन्धित सहभागी विभागों के साथ परामर्श करके परिषद द्वारा सम्मिलित किये जाने वाले अन्य मामले।

सर्वेक्षण और अध्ययन

17—उक्त योजना तैयार करने के लिए परिषद ऐसी सहभागी विभागों या व्यक्तियों, जिन्हें वह इस निमित्त नियुक्त करे, द्वारा, ऐसे सर्वेक्षण तथा अध्ययन करा सकती है जैसा कि वह ऐसा किये जाने के लिए आवश्यक समझे, और ऐसे विनिर्दिष्ट मामलों के सम्बन्ध में अध्ययन कराने के लिए ऐसे विशषज्ञों या परामर्श दाताओं को भी सहयोजित कर सकती है, जैसा कि उसके द्वारा अवधारित किया जाय।

योजना तैयार करने के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया

18—(1) उक्त योजना का अन्तिम रूप प्रदान करने के पूर्व, परिषद, नियोजन तथा विकास समिति की सहायता से योजना का एक प्रारूप तैयार करेगी और उसे उसकी एक प्रतिलिपि निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराते हुए तथा यथा विहित प्रारूप में और रीति से एक नोटिस ऐसे दिनांक के पूर्व जैसा कि नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जा, प्रका"ात कराते हुए योजना के प्रारूप के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति से आपत्तियों तथा सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित करायेगी और पूर्वोक्त नोटिस के प्रथम प्रका"ान के दिनांक को उक्त योजना प्रवर्तित होगी और सम्यक रूप से तैयार की गयी समझी जायेगी।

(2) परिषद प्रत्येक ऐसे स्थानीय प्राधिकरण/विभाग, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त योजना द्वारा किसी भी रूप में प्रभावित कोई भूमि स्थित हो, को योजना के प्रारूप के सम्बन्ध में कोई प्रत्यावेदन करने के लिए युक्तियुक्त अवसर भी प्रदान करेगी।

(3) परिषद द्वारा प्राप्त की गयी समस्त आपत्तियों, सुझावों तथा प्रत्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात् परिषद अन्तिम रूप से योजना तैयार करेगी।

योजना को प्रवर्तित किये जाने का दिनांक

19—उक्त योजना को अन्तिम रूप से तैयार किये जाने के तत्काल पश्चात् परिषद यह उल्लेख करते हुए कि उसके द्वारा योजना अन्तिम रूप से तैयार कर ली गयी है और ऐसे स्थानों को नामित कर दिया गया है जहाँ योजना की प्रतिलिपि का समस्त युक्तियुक्ति समयों पर निरीक्षण किया जा सकता है, यथा विहित रीति से एक नोटिस प्रकाशित करायेगी और पूर्वोक्त नोटिस के प्रथम प्रकाशन के दिनांक को उक्त योजना प्रवर्तित होगी और सम्यक रूप से तैयार की गयी समझी जायेगी।

योजना का उपान्तरण

20—(1) परिषद उपधारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन योजना में ऐसे उपान्तरण, जैसा कि वह उचित समझे, कर सकती है, जो उसकी राय में योजना की महत्वपूर्ण प्रकृति को प्रभावित न करे और जो भू—उपयोगों की सीमा या जनसंख्या घनत्व के मानकों से सम्बन्धित न हो।

(2) अन्तिम रूप से तैयार की गयी योजना में कोई उपान्तरण करने के पूर्व, परिषद यथा विहित प्रारूप में तथा रीति से एक नोटिस, अन्तिम रूप से तैयार की गयी योजना में प्रस्तावित किये जाने वाले उपान्तरणों को संसूचित करते हुए और नोटिस में यथाविनिर्दिष्ट दिनांक के पूर्व प्रस्तावित उपान्तरणों के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रका"ात करेगी और स्वयं द्वारा यथाविनिर्दिष्ट दिनांक को या उसके पूर्व प्राप्त की जाने वाली समस्त आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार करेगी।

(3) इस धारा के अधीन किये गये प्रत्येक उपान्तरण को परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली रीति से प्रकाशित की जायेगी और उक्त उपान्तरण ऐसे प्रकाशन के दिनांक को अथवा ऐसे पश्चात्वर्ती दिनांक को, जैसा कि परिषद नियत करे, प्रवर्तित होगा।

(4) यदि कोई प्रश्न उठता है कि प्रस्तावित किये जाने वाले उपान्तरण ऐसे उपान्तरण है जिनसे योजना की महत्वपूर्ण प्रकृति प्रभावित होती हो तो इसका विनि"चय परिषद द्वारा किया जायेगा जिस पर उसका विनि"चय अन्तिम होगा।

योजना की समीक्षा

21—(1) अन्तिम रूप से तैयार की गयी योजना को प्रवर्तित किये जाने के दिनांक से प्रत्येक पॉच वर्ष के पश्चात् परिषद ऐसी समीक्षा के पश्चात् उसकी समग्रता में ऐसी योजना

और उसका पुनरीक्षण

की समीक्षा कर सकती है, और ऐसी समीक्षा के पश्चात इसके स्थान पर नई योजना ला सकती है या उसमें ऐसे उपान्तरण या परिवर्तन कर सकती है जैसा कि उसके द्वारा आव"यक पाया जाय।

(2) जहाँ उक्त योजना के स्थान पर नई योजना रखने का प्रस्ताव किया जाय या जहाँ ऐसे उपान्तरण या परिवर्तन का प्रस्ताव हो वहाँ, यथा–स्थिति, ऐसी नई योजना या ऐसे उपान्तरण या परिवर्तनउसी रीति से प्रकाशित एवं व्यवहृत किये जायेंगे मानों यह ऐसी योजना हो, जो धारा 18 और 19 में निर्दिष्ट हो या मानों वे धारा 20 के अधीन बनायी गयी योजना में उपान्तरण या परिवर्तन हो।

परियोजनागत योजना की तैयारी, समन्वय और सहभागिता

22–(1) सहभागी विभाग स्वयं अथवा, यथास्थिति, एक या उससे अधिक सहभागी विभागों के सहयोग से परियोजनागत योजनाओं की एक या उससे अधिक तत्वों को तैयार कर सकता है।

(2) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अनुदान, ऋण या आय–व्ययक प्राप्त करने वाले जिला के विभिन्न सहभागी विभागों को, उक्त योजना के अधीन योजनाओं/परियोजनाओं सहित अपने विभागीय योजनाओं की समभिरूपता/समन्वय को सुनि"चत् करना होगा।

अध्याय–पॉच

वित्त, लेखा और लेखा–परीक्षा

सरकार द्वारा अनुदान, अग्रिम और ऋण

23–राज्य सरकार, विधान मण्डल द्वारा इस निमित्त विधि के माध्यम से किये गये सम्यक विनियोजन के पश्चात् परिषद को ऐसी धनरा"ा का अनुदान, अग्रिम तथा ऋण प्रदान कर सकती है जैसा कि वह इस अधिनियम के अधीन कृत्यों को क्रियान्वित करने के लिए परिषद को समर्थ बनाने हेतु आव"यक समझे।

निधि का गठन

24–(1) परिषद की अपनी एक पृथक बैंक खाता में अनुरक्षित की जाने वाली एक निधि का गठन किया जायेगा, जिसे विन्ध्य धाम विकास परिषद निधि कहा जायेगा और उसमें निम्नलिखित धनरा"ायॉ जमा की जायेंगीः–

(क) धारा 23 के अधीन राज्य सरकार द्वारा परिषद को प्रदान किया गया कोई अनुदान तथा ऋण,

(ख) सहभागी विभागों द्वारा परिषद को संदत्त की गई समस्त धनरा"ा, और

(ग) अन्य स्रोतों यथा–मन्दिर न्यासों से प्राप्त धनरा"ा, गैर सरकारी संगठन, कम्पनियों, फर्मों तथा व्यक्तियों आदि से प्राप्त दान, ओर

(घ) परिषद द्वारा ऐसे अन्य स्रोतो से प्राप्त कोई अन्य धनरा"ा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा परिषद के पराम"ा से विनि"चत् किया जाय।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि में जमा की गई धनरा"ा का उपयोग निम्नलिखित के लिये किया जायेगाः–

(क) कार्यपालक उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वित्त अधिकारी तथा परिषद के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतनों, भत्तो और अन्य पारिश्रमिक की पूर्ति करना तथा परिषद के अन्य प्र"ाासनिक व्ययों की पूर्ति करना,

(ख) विन्ध्याचल क्षेत्र के लिए सर्वेक्षण तथा प्रारम्भिक अध्ययन संचालित करना और तद्‌निमित्त योजनाएं/परियोजनाएं अभिकल्पित करना,

(ग) परिषद द्वारा विनि"चत किये जाने वाले निबंधनों और शर्तो के अध्यधीन विन्ध्य धाम योजना तथा परियोजनाओं के क्रियान्वय हेतु सहभागी विभाग और क्रियान्वयनकर्ता अभिकरणों को वित्तीय सहायता उपबन्धित करना,

(घ) इस अधिनियम का प्र"ाासनीकरण करने में परिषद द्वारा उपगत किन्हीं अन्य व्ययों की पूर्ति करना।

आय–व्ययक

25–परिषद प्रत्येक वर्ष ऐसे प्रारूप में तथा ऐसे समय पर, जैसा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, अगले आगामी वित्तीय वर्ष के लिये एक आय–व्ययक तैयार करेगी और उसे वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने के न्यूनतम नब्बे दिन पूर्व राज्य सरकार

को अग्रसारित करेगी।

वार्षिक रिपोर्ट

26—परिषद प्रत्येक वर्ष अपने उस वर्ष के क्रिया—कलापों की एक रिपोर्ट तैयार करेगी और उक्त रिपोर्ट राज्य सरकार को ऐसे प्रारूप में तथा ऐसे दिनांक को या उसके पर्वू, जैसा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें, प्रस्तुत करेगी और ऐसी रिपोर्ट राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायेगी।

लेखा और लेखा परीक्षा

27—(1) परिषद समुचित लेखाओं तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों का अनुरक्षण करेगी और ऐसे प्रारूप में जैसा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें, तुलनपत्र सहित वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगी।

(2) परिषद के लेखाओं की वार्षिक लेखा—परीक्षा, परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा द्वारा करायी जायेगी और/या राज्य सरकार, उक्त लेखा—परीक्षा, महालेखाकार उत्तर प्रदेश या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को या किसी अन्य लेखा—परीक्षक को ऐसे निबंधन एवं शर्तो पर, ऐसी रीति से, ऐसी अवधि के लिए और ऐसे समय में सौंप सकती है जैसा कि उसके एवं राज्य सरकार के मध्य सहमति हो।

(3) उपधारा (2) के अधीन लेखा—परीक्षा संचालित करने वाले किसी व्यक्ति के अधिकार, प्राधिकार और वि"ोषाधिकार,—

(क) परीक्षक स्थानीय निधि लेखा के मामले में, वही होंगे जैसा कि उसके पास स्थानीय प्राधिकरण के लेखाओं की लेखा—परीक्षा के सम्बन्ध में हो,

(ख) यथास्थिति महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के मामले में वही होंगे, जैसा कि उसके पास सरकारी लेखाओं की लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में हो, और

(ग) किसी अन्य लेखा परीक्षक के मामले में वहीं होंगे जैसा कि विहित किया जाय,

(4) परिषद राज्य सरकार को वार्षिक रूप में या ऐसे समय में, जैसा कि उसके द्वारा निर्दे"ित किया जाय, लेखा परीक्षित लेखाओं की उस पर लेखा परीक्षक रिपोर्ट सहित प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगी।

राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षक रिपोर्ट

28—राज्य सरकार वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षक रिपोर्ट प्राप्त किये जाने के पश्चात् राज्य विधान मण्डल, जब वह सत्र में हो, के प्रत्येक सदन के पटल पर यथा"ाक्य शीघ्र उन्हें रखवायेगी।

अध्याय—छः

भूमि का अधिग्रहण और निस्तारण

अधिनियम के प्रयोजनार्थ भूमि अर्जित किया जाना

29—(1) यदि राज्य सरकार की राय में इस अधिनियम के अधीन विकास के प्रयोजनार्थ या किसी अन्य प्रयोजनार्थ किसी भूमि का अर्जन किया जाना अपेक्षित हो तो राज्य सरकार भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारद"िता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) के उपबन्धों के अधीन ऐसी भूमि को अर्जित कर सकती है।

(2) जहॉ राज्य सरकार द्वारा कोई भूमि अर्जित की गई हो वहॉ वह उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् उक्त भूमि, परिषद को ऐसे प्रयोजन के लिए अन्तरित कर सकती है जिसके लिए उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के अधीन प्रदत्त प्रतिकर का, और अर्जन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा उपगत प्रभारों का, परिषद द्वारा, संदाय किये जाने पर उक्त भूमि अर्जित की गई हो।

(3) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्रदान किये गये किन्हीं निदे"ाों के अध्यधीन राज्य सरकार द्वारा अर्जित की गई और परिषद को अन्तरित की गई भूमि, परिषद द्वारा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन अभिकरण को ऐसी रीति से और ऐसी निबंधन एवं शर्तो के अध्यधीन अन्तरित की जा सकती है जैसा कि वह इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उसके द्वारा उचित समझे जाने वाले विकास का दायित्व ग्रहण करने या उसे क्रियान्वित करने के पश्चात् विन्ध्याचल क्षेत्र के विकास को संरक्षित करने के लिए समीचीन समझे।

प्रयोजन में परिवर्तन किया जाना अनुज्ञात नहीं है

30—ऐसे प्रयोजन या सम्बन्धित प्रयोजनों, जिसके/जिनके लिए मूलरूप में भूमि अर्जित की जानी अपेक्षित हो, में कोई परिवर्तन की अनुज्ञा, इसके सिवाय नहीं प्रदान की जायेगी जैसा कि धारा 29 की उपाधारा (1) में यथा उपबन्धित रूप में निर्दिष्ट हो।

अप्रयुक्त भूमि का वापस किया जाना

31—जब इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अर्जित की गई भूमि अप्रयुक्त रहती है तो इसका निस्तारण अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा।

अध्याय—सात

प्रकीर्ण

विद्यमान विधियों के अतिरिक्त किये जाने वाले उपबन्ध

32—इस अधिनियम के उपबन्ध किसी अन्य अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में होंगे।

राज्य सरकार की निदे"ा देने की शक्ति

33—राज्य सरकार समय—समय पर परिषद को ऐसे निदे"ा दे सकती है जैसा कि वह इस अधिनियम के दक्ष प्र"ाासनीकरण के लिए उपयुक्त समझे और परिषद ऐसे निदे"ाों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

परिषद/नियोजन तथा विकास समिति को प्राविधिक सहायता दिया जाना

34—(1) राज्य सरकार अपने किसी भी विभाग को यह निदे"ा दे सकती है कि वह ऐसी निबंधन एवं शर्तो, जैसा कि पारस्परिक रूप में सहमति हो, पर परिषद को ऐसी प्राविधिक सहायता उपबन्धित करे जैसा कि वह आव"यक समझे।

(2) नियोजन तथा विकास समिति को अपने कृत्यों का सम्पादन करने के लिए समर्थ बनाने की दृष्टि से परिषद उपधारा (1) के अधीन अपने द्वारा प्राप्त की गई प्राविधिक सहायता में से नियोजन तथा विकास समिति को ऐसी प्राविधिक सहायता उपलब्ध करायेगी जैसा कि नियोजन तथा विकास समिति अपेक्षा करे।

परिषद के अधिकारी एवं कर्मचारी

35—(1) राज्य सरकार क्रम"ाः दो उपयुक्त व्यक्तियों को परिषद के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी और वित्त अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकती है जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जैसा कि विनियमावली द्वारा विहित किया जाय या उन्हें परिषद अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रत्यायोजित किया जाय।

(2) ऐसे नियंत्रण और निर्बन्धनों के अध्यधीन, जैसा कि राज्य सरकार के सामान्य या वि"ोष आदेश द्वारा अवधारित किया जाय परिषद इस निमित्त बनायी जाने वाली किन्हीं नियमों के अध्यधीन ऐसे पद पर नियुक्तियॉ कर सकती है और इस प्रकार नियुक्त किये गये व्यक्तियों के पदनामों एवं ग्रेडों का अवधारण कर सकती है जैसा कि इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का दक्षतापूर्वक निष्पादन करने के लिए आव"यक हो।

(3) विधिक मामलों में परिषद को सलाह देने के लिये एक विधि सलाहकार होगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार के न्याय विभाग के पराम"ा से की जायेगी।

(4) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों की अर्हता, सेवा की निबंधन एवं शर्ते तथा उनके कृत्य एवं कृतव्य यथा विहित रूप में होंगे।

(5) परिषद के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वित्त अधिकारी तथा अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी, परिषद की निधि से ऐसे वेतन एवं भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित किया जाय।

प्रत्यायोजन

36—परिषद सामान्य या वि"ोष आदेश द्वारा यह निदे"ा दे सकती है कि किसी कृत्य या शक्ति (योजना और उसमें किये जाने वाले उपान्तरणों तथा परिवर्तनों को अनुमोदित करने और विनियमावली बनाने की शक्ति से भिन्न) या उसके द्वारा इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन निष्पादित किये गये, प्रयुक्त किये गये या निर्वहन किये गये कर्तव्य, ऐसी शर्तो, यदि कोई हो, जिन्हें ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, का निष्पादन, प्रयोग या निर्वहन ऐसे अधिकारी द्वारा भी किया

जायेगा जैसा कि उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय और जहॉ ऐसी शक्ति प्रत्यायोजित की जाय वहॉ ऐसा अधिकारी, जिसे ऐसी शक्ति प्रत्यायोजित की जाय, उन शक्तियों का निष्पादन, प्रयोग या निर्वहन करेगा।

प्रवे"ा करने की शक्ति

37—इस निमित्त बनायी गयी किसी नियमावली के अध्यधीन परिषद द्वारा इस निमित सामान्यतः या वि"ाष्टतः प्राधिकृत कोई व्यक्ति किसी भूमि या परिसर में समस्त युक्तियुक्त समयों पर प्रवे"ा कर सकता है और वहॉ पर ऐसी चीजें कर सकता है जो किसी कार्य को विधिसम्मत रूप से करने के प्रयोजन के लिए या इस अधिनियम के अधीन परिषद द्वारा किसी शक्ति का प्रयोग करने या किसी कृत्य का निष्पादन करने के लिए प्रारम्भिक या आनुषंगिक कोई सर्वेक्षण, परीक्षण या जॉच करना आव"यक होः

परन्तु यह कि ऐसा कोई व्यक्ति किसी भवन या किसी परिवेष्ठित प्रांगण या किसी निवास गृह से संलग्न उद्यान में प्रवे"ा उसके अधिभोगी को ऐसा करने के अपनी आ"ाय की लिखित रूप में कम से कम तीन दिन पूर्व नोटिस दिये बिना नहीं करेगा।

परिषद के अधिकारी और कर्मचारी लोक सेवक होंगे

38—परिषद के अधिकारी और अन्य कर्मचारी जब वे इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या कार्य करना तात्पर्यित हो, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 31 के अर्थातर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे

सद्भावनापूर्वक कृत कार्यवाही का संरक्षण

39—इस अधिनियम के अधीन सद्भावनापूर्वक की गई या किये जाने हेतु आ"ायित किसी बात के लिये परिषद, नियोजन तथा विकास समिति, अपने सदस्यों, अधिकारियों या कर्मचारियों, जिनमें इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करने या किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिये उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित है, के विरूद्ध कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

नियमावली बनाने की शक्ति

40—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए गजट में अधिसूचना द्वारा नियमावली बना सकती है।

(2) पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी नियमावली में निम्नलिखित समस्त या कोई विषय उपबंधित किये जा सकते है, अर्थात्:—

(क) धारा 3 की उपधारा (4) और धारा 6 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदस्यों के पदों की निबंधन एवं शर्ते,

(ख) प्रारूप और रीति, जिसमें धारा 18 की उपधारा (1) और धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन नोटिस प्रका"ात की जायेगी,

(ग) रीति, जिसमें धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस प्रका"ात की जायेगी,

(घ) कोई अन्य मामला, जो विहित किया जाना हो या किया जा सकता है अथवा जिसके सम्बन्ध में नियमावली द्वारा उपबन्ध किया जाना हो या किया जा सकता है।

विनियमावली बनाने की शक्ति

41—(1) परिषद इस अधिनियम के उपबन्धो को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसी विनियमावली बना सकती है जो इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गई नियमावली से असम्बद्ध न हो।

(2) वि"ाष्टतः और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी विनियमावली में निम्नलिखित कोई या समस्त मामले उपबंधित हो सकते हैं, अर्थात्:—

(क) रीति, जिसमें और प्रयोजन, जिसके लिए परिषद धारा 17 के अधीन अपने साथ किसी व्यक्ति को सहयोजित कर सकती है,

(ख) धारा 35 की उपधारा (4) के अधीन परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की निबन्धन एवं शर्ते,

(ग) कोई अन्य मामला, जिसके सम्बन्ध में विनियमावली द्वारा उपबन्ध किया जाना हो या किया जा सकता है।

परिषद का

42—(1) जहॉ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि उन प्रयोजनों, जिनके

विघटन

लिये इस अधिनियम के अधीन परिषद की स्थापना की गयी थी, को मौलिक रूप से प्राप्त कर लिया गया है या परिषद अपने लक्ष्यों में विफल हो गयी है जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार की राय में परिषद का निरन्तर बना रहना अनाव"यक हो गया है, वहाँ राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि परिषद को ऐसे दिनांक से विघटित कर दिया जायेगा जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, और परिषद तदानुसार विघटित की गयी समझी जायेगी।

(2) उक्त दिनांक से—

(क) समस्त सम्पत्तियां, निधियां और देय, जो परिषद में निहित है या उसके द्वारा वसूल किये जाने योग्य है, राज्य सरकार में निहित हो जायेंगी या उसके द्वारा वसूल किये जाने योग्य होंगी,

(ख) समस्त देनदारियां, जो परिषद के सापेक्ष प्रवर्तनीय है, राज्य सरकार के सापेक्ष प्रवर्तनीय होंगी,

(ग) राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः कार्यान्वित न किये गये किन्ही कार्य को क्रियान्वित करने के प्रयोजनार्थ और खण्ड (क) में निर्दिष्ट सम्पत्तियों, निधियों और देयों को वसूल करने के प्रयोजनार्थ परिषद के कृत्यों का निर्वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार इस धारा की कोई बात राज्य सरकार को परिषद का पुनर्गठन करने से रोकने के रूप में नहीं माना जायेगा।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

43—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए गजट में प्रका"ात आदेश द्वारा यह निदे"ा दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध, आदेश में विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के दौरान उपान्तरण, परिवर्द्धन या चूक के माध्यम से ऐसे अनुकूलनों, जैसा कि वह आव"यक और समीचीन समझे, के अध्यधीन प्रभावी होंगे।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

———

उद्‌देश्य और कारण

विंध्य क्षेत्र की महत्ता का वर्णन पुराणों में तपोभूमि के रूप में किया गया है। विन्ध्यवासिनी देवी मंदिर विन्ध्य पर्वत श्रृंखला के मध्य में पावन गंगा नदी के तट पर स्थित है। यह भारत के सर्वाधिक सम्मानित शक्तिपीठों में से एक है क्योंकि दे"ा के 51 शक्तिपीठों में से विंध्यवासिनी एक मात्र पूर्ण पीठ है। दे"ा के प्रत्येक छोर से लाखों श्रद्धालु मुख्यतः चैत्र और शारदीय नवरात्र के दौरान विंध्यवासिनी देवी का द"ान करने हेतु विन्ध्य क्षेत्र की यात्रा करते है।

इस प्रकार, विन्ध्याचल की सांस्कृतिक, पारिस्थितिकीय तथा स्थापत्य सम्बंधी विरासत की सौंदर्यपरक गुणवत्ता को परिरक्षित करने, विकसित करने तथा अनुरक्षित करने, योजनाओं के क्रियान्वयन का समन्वय एवं अनुश्रवण करने, और क्षेत्र में एकीकृत पर्यटन विकास, विरासत परिरक्षण तथा प्रबंधन हेतु सुसंगत नीतियाँ विकसित करने के लिये विन्ध्य धाम तीर्थ विकास परिषद का गठन करके विन्ध्यधाम क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिये उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने की आव"यकता का अनुभव किया जाता रहा है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए विन्ध्य धाम तीर्थ विकास परिषद् की स्थापना का उपबंध करने के लिये एक विधि बनाने का विनि"चय किया गया है।

तद्‌नुसार, उत्तर प्रदेश विन्ध्य धाम तीर्थ विकास परिषद विधेयक, 2021 पुरः स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।